

# मुंबई पोर्ट ट्रस्ट यातायात विभाग

सं. टीएम/पी/19-28/24/1996-97

दिनांक : 7 अक्टूबर 2017

## परिपत्र

अध्यक्ष,  
मुंबई एवं न्हावा शेवा शिप एजंट संघ  
अध्यक्ष,  
बृहन्मुंबई सीमाशुल्क ब्रोकर्स संघ  
अध्यक्ष,  
अखिल भारतीय आयातक निर्यातक संघ  
अध्यक्ष,  
पश्चिम भारत शिपर्स संघ  
अध्यक्ष,  
भारतीय निर्यातक फेडरेशन संगठन  
अध्यक्ष,  
भारतीय मर्चण्ट्स चॅम्बर्स  
अध्यक्ष,  
अखिल भारतीय संघ  
सचिव,  
बम्बई वणिज्यिक एवं उद्योग चॅम्बर्स  
अध्यक्ष,  
भारतीय फेट फारवर्डर फेडरेशन संघ

विषय : मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में कन्टेनरों की सम्वहलाई हेतु ऑफ़शोर कन्टेनर टर्मिनल के लिए निर्मित परियोजना सुविधाओं का वैकल्पिक उपयोग रो.रो.जहाजों की सम्वहलाई

संदर्भ : परिपत्र क्र.

- १) दिनांक 30.07.2015 का टीएम/पी/19-28/22/1996-97
- २) दिनांक 14.10.2015 का टीएम/पी/19-28/31/1996-97
- ३) दिनांक 10.10.2016 का टीएम/पी/19-28/217/1996-97

इस कार्यालय के उपरोलिखित दिनांक 30.07.2015 के परिपत्र के अनुक्रम में यह सुचित किया जाता है कि मेसर्स इंदिरा कन्टेनर टर्मिनल प्रायव्हेट लिमिटेड को ऑफ़शोर कन्टेनर टर्मिनल घाट में कार वाहनों की सम्वहलाई की अनुमती दी गई है.

2. इसके साथ इस कार्यालय में उल्लिखित दिनांक 14.10.2015 एवं 10.10.2016 के परिपत्र के अनुक्रम में आपको यह सूचित किया जाता है कि सीमाशुल्क विभाग दि.06.10.2017 की अधिसूचना सं.01/2017 (प्रतिसंलग्न)द्वारा काथित अधिसूचना की अधिसूची-१ में वार्णितनुसार ऑफशोर कन्टेनर टर्मिनल के परिपूर्ण क्षेत्र को 07.10.2017 से और एक वर्ष की अवधि के लिए सभी प्रकार के आयत माल खाली करने तथा सभी प्रकार के निर्यात माल भरने हेतु स्थान के रूप में अधिसूचित किया है वशर्ते कि सीमाशुल्क अधिनियम 1963 के प्रावधानों तथा भारत सरकार और प्रधान सीमाशुल्क आयुक्त (सामान्य) नया सीमाशुल्क भवन वेलाई इस्टेट मुंबई द्वारा समय समय पर इस संबंध में जारी अन्य अनुदेशों का कडाई से पालन हो .
3. आपसे अनुरोध है की इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपके सदस्यों के बीच इसे व्यापक प्रसिद्धि दे .

संलग्न ॐ उपरोक्त

( ए . के . बोस )  
यातायात प्रबंधक